न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 57 / 2022 **दायर दिनांकः 20.05.2022**

उनवान

1. गोकुल प्रसाद आ० कान्हा जाति गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
2. शेतानबाई पत्नी गोकुल उर्फ गोकुलप्रसाद जाति गुर्जर नि.बोरबंद

प्रार्थीगण

बनाम

1. सत्यनारायण आ० जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
2. मांगीलाल आ० जगन्नाथ जाति गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
3. रामप्रसाद आ० शिवलाल गुर्जर जाति गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
4. कैलाश आ० मांगीलाल जाति गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
5. सोहनबाई पत्नी मांगीलाल गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
6. बापूलाल आ० शंकरलाल गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
7. रत्तीराम आ० शंकरलाल गुर्जर नि. ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर
8. कंवरलाल आ० कान्हा गुर्जर नि. बोरबंद तहसील रायपुर
9. हरिसिंह आ० कान्हा गुर्जर नि. ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर
10. राज.सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री विनोद जैन

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से. 9 — श्री सुभाष सांघी

अप्रार्थी सं. 10 — पेरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनाकः 10.10.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम बोरबंद प.ह. सुवांस तहसील रायपुर की आराजी खाता सं. 07 के खसरा नंवर 183, 189, 250, 236 कुल किता 4 कुल रकबा 0.8221 है. उक्त आराजी प्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 8 व 9 के शामलाती में स्थित है व खाता संख्या 142 के खसरा नं. 408/190, 409/243 कुल किता 2 कुल रकबा 0.1391 है. प्रार्थी नं. 2 के नाम खाते दर्ज हैं। नकल जमाबंदी सम्वत् 2071–74 पेश है। उपरोक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त कर रहे है। यह कि खाता संख्या 159 के खसरा नं. 188 के खातेदार अप्रार्थी नं. 1 सत्यनारायण व खाता संख्या 14 अन्य खसरा नम्बरान के साथ साथ खसरा नं. 187 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 केलाशचन्द, रामप्रसाद, व सोहनबाई खातेदार है। इसी प्रकार खाता संख्या 122 में अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नं. 186 के खातेदार अप्रार्थी नं. 6, 7 बापूलाल व रत्तीराम है। तीनों खाते की नकल जमाबंदी पेश है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 183, 189, 408/190 पर आने जाने का सनातनी सस्ता अप्रार्थीगण के खसरा नं. 188, 186, 187 के बीच में मेढ़ से होकर आते जाते व बेलगाड़ी व ट्रेक्टर व सामद वगेरह लाते ले जाते चले आ रहे है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग सदेव से करते चले आ रहे है। परन्तु अब अप्रार्थी नं 1 सत्यनारायण ने प्रार्थीगण का रास्ता रोक दिया है। मौके पर इसी रास्ते से प्रार्थीगण निकलते रहे है और वर्तमान में भी करीब 12 फीट चौड़ा रास्ता मौजूद है और अन्य पास पड़ोस के खेत वाले भी उक्त रास्ते का उपयोग कर रहे है किन्तु अप्रार्थीगण सत्यनारायण, कैलाश, रामप्रसाद सोहनबाई व अन्य ताकत के बल पर व लड़ाई झगडा करके अप्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने नहीं दे रहा है। जबकि इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में जाने का नहीं है। प्रार्थी की आराजी ... जाने आने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने आने के लिए अप्रार्थी नं.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के खेत खसरा नं. 188 व 186, 187 के बीच में होकर 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नं 183, 189 व 408/190 वाके ग्राम बोरबंद में ट्रक, ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामान इत्यादि लाने–ले जाने में उपयोग हो सके। यह कि प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले निर्धारित राशि देने को तैयार है। विकल्प में माननीय न्यायालय काश्तकारी नियम 71(1) (1) (1) के अनुसार जो भी निर्धारण करें। उसके लिए तैयार है। यह कि प्रार्थी ने उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी व कानूनगो से कहा तो – उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी, इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि अप्रार्थी नं. 8, 9 कंवरलाल व हरिसिंह खाता संख्या 7 के सहखातेदार है और उन्होने उक्त प्रार्थनापत्र में भाग लेने में कोई रूचि नहीं ले रहे है। इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बोरबंद प.ह. सुवास तहसील रायपुर में प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 183, 189, 408/190 के पर जाने आने का रास्ता 12 फिट चौड़ा अप्रार्थीगण के खसरा नं. 188, 186, 187 के मध्य स्थित मेढ़ से होकर स्वीकृत किया जावें। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित की जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 8 व 9 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबकि आदेशिका दिनांक 30.04.2025 से अप्रार्थी सं. 8 व 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 7 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 1 राजस्व रेकार्ड से सम्बंधित है व साबित करें। यह कि वाद का पेरा न. 2 मे दर्ज भूमि अप्रार्थीगण के खाते की है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न 3 में वर्णित आराजी खसरा न. 183, 189, 408/190 पर आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

जाने का सनातनी रास्ता अप्रार्थीगण के खसरा न. 188, 186, 187 के मेड से होकर बैलगाडी सांमद, टेक्टर का होने के तथ्य कतई निराधार भ्रामक व झूठे दर्ज होने से अस्वीकार है। खसरा नं. 183 189, 408/190 का रास्ता कभी भी अप्रार्थीगण के खसरा न. 188, 186, 187 से होकर नहीं रहा है और आज भी कोई रास्ता मौके पर उक्त खसरानम्बरान का नहीं है। उक्त पेरे के समस्त तथ्य भ्रामक व मिथ्या होने से अस्वीकार है तथा अन्य किसी पडोस के खेतों का रास्ता भी नहीं रहा है व मौजूद भी नहीं है। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के यहां कोई नहीं होने से रास्ता भी नहीं रोका गया है। प्राथीगण ने सही तथ्यों को छुपाकर झूठा भ्रामक, निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारीज योग्य है। सही तथ्य यह है कि खसरा न. 183 गांव आबादी खसरा न 184 से लगा हुआ है, जिसका हमेशा का सनातनी रास्ता गाव आबादी खसरा न. 184 से होकर मौजूद है और खसरा न. 183 से ही 189 व 408/109 में आसानी से आते जाते है। खसरा न. 184 आबादी के रास्ते व बाडे प्रार्थीगण व इनके परिवार वालो ने ही आबादी के रास्ते पर निर्माण कर संकरा कर दिया है. स्वयं के परिवार द्वारा रास्ता संकरा करने के खिलाफ कार्यवाही नही करके झूठा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के खिलाफ पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 4 के तथ्य गलत है, कोई अत्यन्त आवश्यकता नहीं है। गांव आबादी से ही खसरा न. 183 से लगा हुआ है, जहां रास्ता मौजुद है। स्वयं प्रार्थी गोकुल व रामनारायण के द्वारा सनातनी आबादी का रास्ता संकरा करने पर सन 2007 में खसरा न. 187 की दक्षिणी मेड से 5 फिट भूमि रास्ते के लिए छोडी है फिर भी प्रार्थीगण अधिक सुविधा चाहते है और अप्रार्थीगण की भूमि को खुर्द बुर्द करने, नुकसान करने के लिए झूठा, निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 5 के तथ्य कतई गलत व निराधार, झूठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण स्वयं के परिवार के लोगो ने सनातनी आबादी के रास्ते पर निर्माण कर संकरा कर दिया है और अप्रार्थीगण को परेशान कर गलत रास्ते की मांग कर रहे है। खसरा न. 183, 189, 408/190 का पुराना रास्ता गांव से पश्चिम में प्रार्थीगण के कुवे से होकर भी रहा है, जिस कुवे से ही सिचाई इन्ही खेतो में होती है। यह कि प्रार्थना पत्र का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(10)

पेरा न. 6 गलत है, अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 7 के तथ्य झूठे व निराधार है, जो अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न । के तथ्य गलत है. अप्रार्थी न. 8 व 9 से प्रार्थीगण ने दुरमी संधि कर झूठां भ्रामक प्रार्थना पत्र पेश किया है. जो खारीज योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा न. 9 गलत है. अस्वीकार है। प्रार्थीगण के खेत गाव आबादी से लगे होकर सनातनी रास्ता गांव आबादी खसरा न. 184 से होकर मौजूद होने पर अप्रार्थीगण की खातेदारी वैधानिक अधिकारो को नुकसान करने की गरज से झूठा प्रार्थना पत्र पेश तंग परेशान किया जा रहा है. इसलिए अप्रार्थीगण विशेष हर्जा खर्चा 25,000/— रूपये प्रार्थीगण से पाने के पात्र है। चाही गयी सहायता गलत है, अस्वीकार है। प्रार्थीगण कोई सहायता पाने के पात्र नहीं है। **विशेष आपत्तियां—** यह कि प्रार्थीगण ने सही तथ्यो को छुपाकर गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है. जो चलने योग्य नहीं है. क्योकि प्रार्थीगण का खसरा न. 183 व अप्रार्थीगण का खसरा न. 187 गांव आबादी के खसरा न. 184 से लगे हुए है, जहां आबादी से सनातनी पूराना रास्ता मौजूद है और प्रार्थीगण व इनके परिवार वाले लोगो ने आबादी के सनातनी रास्ते पर निर्माण कर सनातनी रास्ते को अप्रार्थीगण के खसरा न. 187 के सनातनी रास्ते को भी संकरा कर दिया है ओर अब दुसरी ओर से नया सुविधाजनक नया रास्ता चाहते है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा सनातनी आबादी के रास्ते को संकरा कर तथा अप्रार्थीगण के खसरा न. 187 के सनातनी रास्ते को भी संकरा कर अपनी सुविधा के लिए दुसरे की भूमि पर नया रास्ता चाहने का कोई वैधानिक अधिकार नही है। यह कि पुराना रास्ता आवादी से होकर मौजूद होने पर भी ज्यादा सुविधा के लिए दुसरे की भूमि से नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यह कि ग्राम बोरबंद के आवादी खसरा न. 184 में स्थित अप्रार्थी न 3, 4, 5 के मकान का सनातनी पुराना रास्ता प्रार्थीगण ने खसरा न. 183 की दक्षिणी मेड पर बंद कर दिया है और अप्रार्थीगण को 183 की मेड [illegible] रास्ता बंद कर स्वयं अपनी सुविधा के लिए दुसरी [illegible] है, जिसका उन्हे अधिकार नहीं है। यह कि खसरा न. 183, [illegible], 187 के बिच कोई रास्ता कमी प्रार्थीगण का नहीं रहा है ओर मौके पर भी मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी हल्का से मिलकर, सांठ गांठ कर गांव के पुश्तैनी रास्ते को नही बताकर झूठी नये रास्ते की रिपोर्ट बनवा रहे है, जो अस्वीकार है। यह कि गांव बोरबन्द आबादी खसरा न 184 के पुराने रास्ते से होकर ही अप्रार्थीगण अपने खेत खसरा न. 187 पर आते जाते है ओर उसी रास्ते से प्रार्थीगण भी खसरा न. 183 पर आते जाते है, जो पुराना रास्ता प्रार्थीगण ने संकरा कर अप्रार्थीगण को परेशान कर रहे है। यह कि प्रार्थीगण द्वारा झूठा निराधार, भ्रामक प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण को परेशान कर वैधानिक अधिकारो को तथा मानसिक, आर्थिक नुकसान पर उतारू हो रहे है, जिस कारण अप्रार्थीगण विशेष हर्जा खर्चा 25,000/– रूपये पाने के पात्र है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को विशेष हर्जा खर्चा 25,000/– रूपये दिलाने की कृपा करें।

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2022/1461 दिनांक 27.09.2022 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 19.09.2022 को ग्राम बोरबन्द में वादीगण गोकुल प्रसाद पुत्र कान्हा जाति गुर्जर नि. बोरबन्द एवं शैतानबाई पत्नी गोकुल उर्फ गोकुलप्रसाद जाति गुर्जर नि. बोरबन्द एवं अप्रार्थीगण सत्यनारायण वगैरह की मौजूदगी में भू. अभि. निरीक्षक कालीतलाई एवं पटवारी पटवार हल्का सुवास द्वारा खसरा नंबर 183, 189, 250, 236 एवं खसरा 408/190, 409/243 का मौका देखा गया। मौके पर उक्त खसरा नंबर में पहुंच मार्ग सिवायचक रास्ता दर्ज नहीं है तथा मौके पर भी रास्ता नहीं है। वर्तमान में उक्त खसरा नंबर पर पहुंचने हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली बैलगाड़ी आदि का रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण वादी गोकुलप्रसाद एवं शैतानबाई एवं अप्रार्थी कंवरलाल, हरिसिंह पि. कान्हा गुजर नि. बोरबन्द [illegible] 183 शामलाती तक ग्राम बोरबन्द के आराजी खसरा नंबर 188, 188 [illegible] होकर खसरा नंबर 187 में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता [illegible] 183 पर पहुंचेंगे। इस प्रकार खसरा नंबर 186 में से 132 फीट लम्बा एवं 6 फीट चौड़ा एवं खसरा नंबर 187 में से 41 फीट लम्बा एवं 6 फीट चौड़ा तथा खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

188 में से 173 फीट लम्बा एवं 6 फीट चौड़ा रास्ता सड़क से लेकर खसरा नंबर 183 तक पहुंचेगा। नजरी नक्शा पत्र के साथ संलग्न है। मौके पर दो बड़े पेड़ एवं दो छोटे पेड़ है। उपस्थित अप्रार्थीगणों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। इस प्रकार खसरा नंबर 186 में से रास्ते का क्षेत्रफल 132X6=792 वर्गफीट अर्थात 0.0073 हैक्टे. तथा खसरा नंबर 187 में से रास्ते का क्षेत्रफल 41X6=246 वर्गफीट अर्थात 0.0022 हैक्टे, तथा खसरा नंबर 188 में से रास्ते का क्षेत्रफल 173X6=1038 वर्गफीट अर्थात 0.0096 हैक्टे. भूमि आती है। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

ततपश्चात अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा जांच रिपोर्ट पर आपत्ति प्रकट करने से पुनः जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/547 दिनांक 06.05.2025 से पुनः जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का सुवास द्वारा रिपोर्ट ली गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रकरण संख्या 57/2022 गोकुल प्रसाद वगे० बनाम सत्यनारायण वगे० विचाराधीन राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 एआर.टी. एक्ट. राजस्व रिकार्ड में आराजी ख.न. 183, 189, 408/190 खातेदार शैतानबाई पत्नि गोकुल जाति गुर्जर व कंवरलाल, गोकुल प्रसाद हरिसिंह पिता कान्हा का नाम दर्ज है। बिन्दुवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है। प्रार्थी की भूमि ख.न. 183, 189, 408/190 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉडेड सरकारी रास्ता नहीं है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने हेतु विकल्पिक रास्ते की जानकारी करने पर पाया गया है कि ग्राम की आबादी से प्रार्थी की आराजी तक पगडंडी रास्ता लगभग 4 फीट चौडा चालू है उक्त आबादी वाले रास्ते को दोनो तरफ मकान बने हुये है अतः ट्रेक्टर एंव अन्य कृषि साधन नहीं निकल सकते है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता ग्रामीण सडक से ख.न. 188 व 186 तथा 187 के बीच की मेड पर होकर पहुंच सकता है उक्त रास्ते पर वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को बन्द कर रखा है। वैकल्पिक रास्ते की चौडाई 10 फीट एंव लम्बाई 125–130 फीट आंकी गई है। रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 10:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर का खाता सं. 7, 142, 14, 122, 159 की जमाबंदी सं. 2071–74, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 18.04.2022, खसरा गिरदावरी सं. 2077 एवं मौके के फोटोग्राफस पेश की।

5. अप्रार्थी सं. 1 से 7 की ओर से परमानन्द पि. प्रभूलाल, शोभाराम पि. गंगाराम, कैलाश पि. मांगीलाल, रामप्रसाद पि. जगन्नाथ, रामगोपाल पि. पन्नालाल NAW-1 to NAW-5 के शपथ पत्र, गूगल मेप फोटोग्राफस, ग्राम बोरबंद के खाता सं. 14 जमाबंदी सं. 2071–74 नकल तथा 2022(1) आरआरटी 693 बोर्ड आफ रेवन्यु राज. उनवान सुवालाल वर्मा बनाम केशवसिंह व अन्य का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। **अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि का स्वयं मौका देखा गया।** अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 408/190 एवं सहखाते व कब्जे की आराजी 183, 189, तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए ग्राम बोरबंद की आराजी ख.नं. 186, 187 व 188 के मध्य की शामलाती मेड से होकर मुख्य सडक से होते हुए ख.नं. 183 व 189 तक आया जाया करते थे और मौके पर रास्ता भी बना हुआ है जिससे होकर ख.नं. 187 का खातेदार कैलाश व रामप्रसाद गुर्जर अपने मकान तक प्रतिदिन आते जो है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर दिये जाने से वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं होने से विगत 2 वर्षो से मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी मौका [illegible] दिनांक 27.09.2022 एवं नवीन रिपोर्ट दिनांक 06.05.2023 में भी प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिरोंज जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि अप्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख.नं. 184 से होकर ख.नं. 187 की दक्षिण मैड के सहारे जो रास्ता बताया गया है वह मात्र 3–4 फीट चौडी पगडंडी है जिसके दोनो ओर अप्रार्थीगण व उनके परिवारजन द्वारा अतिक्रमण कर पक्के मकान व बाडे बना रखे है। उक्त 3–4 फीट चौडी पगडंडी से होकर कोई भी कृषि उपकरण नहीं निकाला जा सकता है। अप्रार्थीगण की आपत्ति पर तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश नवीन रिपोर्ट दिनांक 06.05.2025 में भी उक्त पगडंडी की चौडाई करीब 4 फीट बताई गई है और सइके दोनो ओर मकान बने होने से ट्रेक्टर, थ्रेशर व अन्य कृषि उपकरण का नहीं निकल पाना बताया गया है।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 183, 189 व 408/190 तक पहूँच हेतुं अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 186, 187 एवं ख.नं. 188 की मध्य मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 7 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं.183, 189 व 408/190 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 186, 187 व 188 की मध्य मेड से होकर पहूँच हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि ख.नं. 184 से होकर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 187 तक पहूँच कर पश्चिम दिशा में चलकर प्रार्थीगण [illegible] भूमि [illegible]नं. 183 पर जाता है और मौके पर वर्षो से चालू भी है। इसी रास्ते से [illegible] अप्रार्थीगण भी वर्षो से अपनी भूमि ख.नं. 187 में बने मकान तक आ जा र[illegible]। ख.नं. 187 से ख.नं. 183 तक बना यह 5 फीट चौडा रास्ता भी अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि ख.नं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(15)

187 की दक्षिण मेड के सहारे ग्रामवासियों के निवेदन पर वर्षो पूर्व दिया था। इस रास्ते के लगवा दक्षिण दिशा में स्थित आबादी भूमि ख.नं. 184 में भी 5 फीट चौडा रास्ता ततसमय छोडा गया था अर्थात उस वक्त अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 187 व आबादी भूमि ख.नं. 184 की मेड से कुल 10 फीट चौडा रास्ता छोडा गया था लेकिन धीरे धीरे प्रार्थीगण व उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने आबादी भूमि ख.नं. 184 के इस 5 फीट चौडे रास्ते पर अवैध रूप से कब्जा कर बाडे व चबूतरे बना लिए है जिससे वर्तमान में केवल अप्रार्थीगण की भूमि मे ही 4–5 फीट चौडा रास्ता बचा हुआ है। अतः यदि प्रार्थीगण व इनके परिवारजन द्वारा आबादी भूमि में 5 फीट चौडे रास्ते पर बनाये गये अवैध बाडे व चबूतरो का अतिकमण ग्राम पंचायत द्वारा हटा दिया जावे तो 10 फीट चौडा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हो जावेगा जिससे होकर प्रार्थीगण आसानी से कृषि उपकरण निकाल सकेगे। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 189 तक पहूँच हेतु एक अन्य वैकल्पिक रास्ता ख.नं. 181, 182 व 466/191 की मध्य मैड से होकर आता है लेकिन प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए व अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए सुविधाजनक रास्ता चाहते है जो धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में देय नहीं है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

8. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण के ख.न. 183, 189, 408/190 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉडेड सरकारी रास्ता नहीं है। वैकल्पिक रास्ता ग्राम की आबादी से प्रार्थी की आराजी तक पगडंडी रास्ता लगभग 4 फीट चौडा चालू है उक्त आबादी वाले रास्ते को दोनो तरफ मकान बने हुये है अतः ट्रेक्टर एंव अन्य कृषि साधन नहीं निकल सकते है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पहुंच हेतु कम दूरी का रास्ता ग्रामीण सडक से ख.न. 188, 186 तथा 187 के बीच की मेड पर होकर पहुंच सकता है उक्त रास्ते को वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता को बन्द कर रखा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 से 7 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. ख.न. 183, 189, 408/190 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर के नजरी नक्शा व लटठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।**

(ii) वैकल्पिक रास्ता होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 7 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पक रास्ता आबादी भूमि ख.नं. 184 से होकर मौजूद है और प्रार्थीगण वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने जवाब दिनांक 06.05.2025 में प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ग्राम की आबादी से प्रार्थी की आराजी तक पगडंडी रास्ता लगभग 4 फीट चौडा चालू होना बताया है। आबादी वाले रास्ते के दोनो तरफ मकान बने हुये है जिस कारण ट्रेक्टर एंव अन्य कृषि साधन नहीं निकल सकते है। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता **रायपुर–दीवलखेडा–माथनिया मुख्य जिला सडक से ख. न. 188, 186 तथा 187 के बीच की मेड पर होकर पहूँच सकता है** परन्तु उक्त रास्ते को वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के [illegible]–10 फीट पहले ही बंद कर दिया है। **वादग्रस्त आराजी का अधोहस्ताक्षरकर्ता उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट** [illegible] है कि अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम की आबादी भूमि ख.नं. 184 से होकर ख.नं. 187 की मेड से होता हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(17)

प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 183 तक जो वैकल्पिक रास्ता बताया गया है वह 3–5 फीट चौडा है अर्थात कही 5 फीट तो कही 4 फीट, तो कही 3 फीट से अधिक नहीं है जिससे होकर ट्रेक्टर, थ्रेशर आदि का निकलना तो दूर टेम्पो का निकलना भी मुश्किल है। उक्त रास्ते दोनो तरफ लगातार सैकडो पक्के मकान बने हुए है। उक्त रास्ते को मोटर साईकिल या पैदल आने जाने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। रायपुर–दीवलखेडा–माथनिया मुख्य जिला सडक से ख.न. 188, 186 तथा 187 के बीच की मेड पर होकर प्रार्थीगण की भूमि ख. नं. 183, 189 की मध्य मेड तक मौके पर स्पष्ट कच्चा रास्ता बना हुआ है जिससे होकर अप्रार्थीगण अपने खेत व मकान तक प्रतिदिन आते जाते है परन्तु प्रार्थीगण की भूमि के समीप 5–10 फीट हिस्से में अप्रार्थीगण द्वारा गोबर की रोडीया एवं भूसा आदि डालकर जान बूझकर बंद कर दिया गया है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

<u>(iii)</u> <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता नहीं है और जो वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है– वह पगडंडी रास्ता लगभग 3–5 फीट चौडा है और इस रास्ते के दोनो तरफ मकान बने हुये है जिससे कारण ट्रेक्टर, थ्रेशर एंव अन्य कृषि साधन नहीं निकल सकते है, केवल मोटरसाईकिल या पैदल ही निकला जा सकता है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 [illegible] द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवे[illegible] कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना [illegible] / खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अधोहस्ताक्षरकर्ता के निरीक्षण के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

समय भी प्रार्थी की सोयाबीन की फसल रास्ते के अभाव कटी खेत में पडी थी। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होना:– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 27.09.2022 एवं दिनांक 06.05.2025 से जाहिर है कि **लघुत्तम रास्ता ख.नं. 186, 187 व 188 की संयुक्त मेड के सहारे होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 183 व 189 के मध्य तक होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 186 में 132 फीट, ख.नं. 187 में 41 फीट व ख.नं. 188 में 173 फीट होगी** जो अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:–प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 183 व 189 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की ख.नं. 186 की आने वाली 132 X 5 = 660 वर्ग फीट भूमि, ख.नं. 187 की आने वाली 41 X 5 = 205 वर्ग फीट भूमि एवं ख.नं. 188 की आने वाली 173 X 5 = 865 वर्ग फीट भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थीगण की **भूमि कुल रकबा 1730 वर्ग फीट अर्थात 161 वर्ग मीटर** का वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, अधोहस्ताक्षरकर्ता के स्वयं मौका निरीक्षण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 27.09.2022 एवं दिनांक 06.05.2025 के अनुसार ग्राम [illegible] तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 183, 189, 408/190 तक पहुंच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

19

–::क्रियात्मक आदेश ::–

11. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम बोरबंद तहसील रायपुर की अप्रार्थीगण की ख.नं. 186 की आने वाली 132 X 5 = 660 वर्ग फीट भूमि, ख.नं. 187 की आने वाली 41 X 5 = 205 वर्ग फीट भूमि एवं ख.नं. 188 की आने वाली 173 X 5 = 865 वर्ग फीट भूमि कुल रकबा 1730 वर्ग फीट अर्थात 161 वर्ग मीटर की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/10/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:46:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner